

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर(राज.)
निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: **16/2016** (आवंटन निरस्ती)

श्री मोती पिता श्री माणा डांगी, निवासी डांगियो का गुड़ा, तहसील बड़गाँव, जिला उदयपुर (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री नारु पिता श्री मोती डांगी, निवासी डांगियो का गुड़ा, तहसील बड़गाँव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती दोली बाई पत्नि श्री नारु जी डांगी, निवासी डांगियो का गुड़ा, तहसील बड़गाँव, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बड़गाँव, जिला उदयपुर (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ
आवंटन नियम 1970 बाबत निरस्त कराये जाने आवंटन दिनांक
11.06.2002 पत्रावली संख्या 139/2002

उपस्थिति:-	1- श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी 2- श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1, 2 3- श्री मनोज कुमार पॅवार, अधिवक्ता पैरोकार सरकार
-------------------	---

निर्णय

दिनांक: 12.12.2017

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (भूमि आवंटन नियमन) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 को दिनांक 11.06.2002 को राजस्व ग्राम डांगियो का गुड़ा की हाल आराजी संख्या 4742 रकबा 0.0600 हैक्टर तथा 4745 रकबा 0.0400 हैक्टर भूमि का आवंटन किया गया था जबकि आराजी संख्या 4745 रकबा 0.0400 हैक्टर भूमि पर प्रार्थी का पूर्व से कब्जा चला आ रहा है। मौके पर पक्की बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है जो मवेशियो को बांधने के काम आ रही है तथा शेष भूमि पर मकान बने हुए हैं। इस भूमि के पड़ोस निम्न प्रकार है:- पूर्व में नारु का मकान, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में खेमा पिता लखा का मकान एवं दक्षिण में आम

रास्ता हैं। इस भूमि का आबादी के लिये पंचायत ने दिनांक 02.12.62 को निलाम किया गया जिसमें से प्रार्थी को 64×40 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया। इस भूमि पर विपक्षी संख्या 1 व 2 का कब्जा भी कब्जा नहीं रहा। यह भूमि अनाधिवासित नहीं थी। नाही आवंटन हेतु उद्घोषणा सम्यक रूप से जारी किया गया था। आवंटन समिति के चेयरमेन भी उपखण्ड अधिकारी गिर्वा नहीं होकर आदेश पर प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। विवादीत भूमि पर कभी काश्त नहीं हुई और नाही काश्त योग्य हैं। इस आधार पर भी भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन के लिये उपलब्ध नहीं थी। प्रार्थी को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.07.16 को पटवारी हल्का से जमाबन्दी की प्रति लेने जाने पर हुई। जानकारी होने पर दिनांक 01.08.16 को आवंटन आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगणों के नाम आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त कराये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी संख्या 4742 व 4745 की किता 2 रकबा 0.1000 हैक्टर भूमि का आवंटन विपक्षीयों के पक्ष में दिनांक 11.06.02 को किया जाना बताया गया है। किया गया आवंटन विधिवत किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में गलत तथ्यों का अंकन किया गया है। मौके पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है। नाही कोई बाउण्ड्रीवाल है। नाही कोई मकान बने हुए हैं नाही आवंटित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा ही है। विवादीत भूमि पर विपक्षी संख्या 1 व 2 का पुराना कब्जा होने से विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटन की गई है। विधिवत आवंटन कमेटी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर कोरम द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 को भूमि का आवंटन कर कब्जा दिलवाया गया। कब्जे दिनांक से ही आवंटित भूमि पर विपक्षी संख्या 1 व 2 कब्जा काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। विपक्षीगण भूमिहीन काश्तकार हैं। ग्राम पंचायत को आवंटित भूमि को निलाम करने व पट्टा देने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी को कथित आवंटन की जानकारी शुरू से ही है। आवंटन वर्ष 2002 में हुआ है जिसे 15 वर्ष का समय बीत चुका है। इतने लम्बे समय बाद आवंटन को निरस्त कराने का कोई कारण नहीं है। विपक्षी संख्या 1 व 2 को कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में भूमि का आवंटन किसी भी परिस्थिति में निरस्त नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 को

आवंटीत भूमि में से 0.0400 हैक्टर भूमि पर प्राथी का कब्जा सन् 1962 से पूर्व से ही चला आ रहा है। मौके पर पक्की बाउण्ड्री बनी हुई होकर मवेशीयो को बांधने के उपयोग में ली जा रही है। इस भूमि का ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा भी जारी किया गया है। पर कभी भी विपक्षी संख्या 1 व 2 का कब्जा नहीं रहा नाही यह भूमि अनाधिवासित रही है। भूमि का आवंटन विपक्षीगणो को विधिवत नहीं हुआ है। नाही आवंटन के पूर्व उद्घोषणा पत्र जारी हुआ। मौके पर विपक्षीगणो का कब्जा नहीं है नाही इनके द्वारा कभी कोई काश्त की गई है। इनके द्वारा आवंटन शर्तो की पालना भी नहीं की गई है। अतः इनका आवंटन निरस्त कराना फरमावें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने जवाब में दिये गये वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौके पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है। विपक्षी संख्या 1 व 2 को दिनांक 11.06.02 को भूमि का आवंटन विधिवत किया गया। आवंटन के पश्चात् जिस दिनांक को कब्जा दिया गया उस दिनांक से विपक्षी संख्या 1 व 2 का नियमित रूप से कब्जा काश्त रहा है। वर्तमान में आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार भी विपक्षीगण को प्राप्त हो चुके हैं। आवंटन हुए भी 15 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण का आवंटन निरस्त किया जाना कानूनन न्यायसंगत नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कराना फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न उपखण्ड अधिकारी गिर्वा की पत्रावली संख्या 139/02 भूमि आवंटन का अवलोकन किया गया। भूमि आवंटन हेतु विपक्षी द्वारा विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर पटवारी लखावली द्वारा रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट के आधार पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 को भूमि आवंटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई जो पूर्ण कमेटी के सदस्यो द्वारा की गई। आवंटन आदेश के बाद विधिवत तहसीलदार को कब्जा सिपुर्द किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने पर तहसीलदार बड़गाँव द्वारा पटवारी हल्का से विपक्षी संख्या 1 व 2 को कब्जा सिपुर्द करवाकर पालना रिपोर्ट भी उपखण्ड कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। भूमि का आवंटन विधिवत सुसंगत तरीके से किया गया है। आवंटन किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं की गई है। आवंटन पश्चात् भूमि का कब्जा भी सिपुर्द किया गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि विपक्षीगणो द्वारा आवंटन नियमो की पालना नहीं की गई है। विपक्षीगणो द्वारा भूमि का आवंटन धोखे अथवा कपट द्वारा नहीं करवाया गया है। ऐसा कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित होता हो कि आवंटीत भूमि पर कब्जा प्रार्थी का रहा हों।

बिलानाम भूमि पर ग्राम पंचायत को पट्टे देने का भी कोई अधिकार नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं पाये जाने से निरस्त किया जाता है एवं विपक्षीगणों के नाम किया गया आवंटन वैध पाये जाने से यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय की प्रति मय तलबिदा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ़्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर